

झारखण्ड सरकार
ऊर्जा विभाग

प्रेषक,

डा० नितिन मदन कुलकर्णी,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
झारखण्ड, राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार

दिनांक

विषय : डी०वी०सी० कमांड एरिया में संचरण की कुल 14 नयी परियोजनाओं हेतु कुल संशोधित प्राक्कलित राशि रु० 1192.91 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जिसमें से रु० 549.71 करोड़ की 06 परियोजनाओं को नाबार्ड से 90% ऋण लेकर एवं 10% राज्य की Equity से क्रियान्वित कराने की स्वीकृति, एवं रु० 643.20 करोड़ की शेष 08 परियोजनाओं को राज्य सरकार से ऋण लेकर क्रियान्वयन हेतु स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में उक्त 08 योजनाओं के लिए राज्यांश की राशि रु० 161.00 करोड़ एवं 06 परियोजनाओं के 10% राज्य की Equity की राशि रु० 54.971 अर्थात् कुल 215.971 करोड़ की विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि० द्वारा सूचित किया गया है कि झारखण्ड राज्य की ऊर्जा नीति के तहत राज्य में 24X7 Power for All को सुनिश्चित किया जाना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आवश्यक है कि राज्य में बिजली संचरण हेतु समुचित संख्या में ग्रिड सब-स्टेशन के साथ-साथ सभी क्षेत्रों में संचरण लाईन रहें। वर्तमान में राज्य में कुल 38 ग्रिड सब-स्टेशन तथा 3404 सर्किट कि०मी० संचरण लाईन है। जबकि 118 ग्रिड सब-स्टेशन तथा 20220 सर्किट कि०मी० संचरण लाईन की आवश्यकता है। आगामी 10 वर्षों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए Power Research & Development Consultants (PRDC), जो कि विद्युत लोड के अद्यतन हेतु एक स्थापित संस्था है, के द्वारा लोड सर्वे कराया गया है। यह अध्ययन भविष्य की आमजनों की विद्युत मांग के आधार पर किया गया। PRDC के अनुशंसा के उपरांत नए ग्रिड सब-स्टेशन तथा नये संचरण लाईन तैयार करने हेतु प्रस्ताव तैयार किया गया।

तदनुसार ज्ञापांक-2062 दिनांक-29.06.2017 द्वारा कोडरमा, डोमचौंच, हजारीबाग आदि कुल 23 स्थलों पर विभिन्न क्षमता के ग्रिड सब-स्टेशनों एवं संबंधित संचरण लाईनों के निर्माण हेतु कुल रु० 3275.24 करोड़ की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट उपबंधित राशि रु० 1153.00 करोड़ के विरुद्ध रु० 200.00 करोड़ ऋण स्वरूप विमुक्त करने तथा योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु नीडा के द्वारा प्रस्तावित ऋण में 10 प्रतिशत राज्यांश (कुल रु० 159.98 करोड़ में से 17-18 में रु० 100 करोड़ Equity के रूप में) स्वीकृत/विमुक्त करने संबंधित प्रस्ताव राज्य योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति हेतु भेजा गया था।

2. योजना सह वित्त विभाग (योजना प्रभाग) द्वारा उक्त प्रस्ताव के संबंध में दिनांक-01.08.2017 को विकास आयुक्त द्वारा प्रस्तावित योजना का संशोधित DPR तैयार करने का परामर्श दिया गया ।
3. योजना सह वित्त विभाग (योजना प्रभाग) के निदेश के आलोक में प्रबंध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि० के पत्र संख्या-168 दिनांक-30.08.2017 द्वारा डी०वी०सी० कमांड एरिया के लिए संचरण की कुल 14 नयी परियोजनाओं की सूची भेजते हुए (संशोधित प्रस्ताव) उक्त परियोजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के साथ वित्तीय वर्ष-2017-18 के लिए कुल रु० 300.00 करोड़ की राशि विमुक्ति करने हेतु अनुरोध किया गया है ।

उल्लेखित कुल 14 परियोजनाओं की विवरणी निम्नवत् है :-

क्र०	योजना का नाम	संशोधित प्राक्कलित राशि (राशि करोड़ में)	वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवश्यक राशि (राशि करोड़ में)	वित्तीय वर्ष 2018-19 में संभावित आवश्यक राशि (राशि करोड़ में)
1	132/33 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन, रामगढ़ एवं 132 के०वी० डबल सर्किट रामगढ़-पी०टी०पी०एस०, 132 के०वी० डबल सर्किट रामगढ़-हजारीबाग तथा 132 के०वी० डबल सर्किट रामगढ़ (JUSNL)- रामगढ़ (DVC) संचरण लाईन	96.14	24.00	72.14
2	132/33 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन, बरकागाँव एवं 132 के०वी० डबल सर्किट 3 फेज बरकागाँव- पी०टी०पी०एस० (220 के०वी०) संचरण लाईन	72.91	20.00	52.91
3	132/33 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन, गोला एवं 132 के०वी० डबल सर्किट 3 फेज गोला-रामगढ़ तथा 132 के०वी० डबल सर्किट 3 फेज गोला-सिल्ली संचरण लाईन	92.93	23.00	69.93
4	132/33 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन, बरही एवं 132 के०वी० डबल सर्किट 3 फेज बरही-चतरा (ईटखोरी) एवं 132 के०वी० डबल सर्किट 3 फेज बरही- हजारीबाग संचरण लाईन	89.71	22.00	67.71
5	132/33 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन, विष्णुगढ़ एवं 132 के०वी० डबल सर्किट सरिया-विष्णुगढ़, 132 के०वी० डबल सर्किट गोमिया-विष्णुगढ़ तथा 132 के०वी० डबल सर्किट विष्णुगढ़-हजारीबाग संचरण लाईन	109.24	27.00	82.24
6	132/33 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन, दुग्दा एवं 132 के०वी० डबल सर्किट 3 फेज दुग्दा-जैनामोड़ तथा 132 के०वी० डबल सर्किट 3 फेज गोमिया-दुग्दा संचरण लाईन	98.99	25.00	73.99
7	132/33 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन, पुटकी एवं 132 के०वी० डबल सर्किट 3 फेज पुटकी-गोविन्दपुर संचरण लाईन	73.44	21.00	52.44
8	132/33 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन, पाथरडीह एवं 132 के०वी० डबल सर्किट 3 फेज पुटकी-पाथरडीह संचरण लाईन	63.61	16.00	47.61
9	132/33 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन, महुदा एवं 132 के०वी० डबल सर्किट 3 फेज महुदा-पुटकी संचरण लाईन	59.21	15.00	44.21
10	132/33 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन, पेटरवार एवं 132 के०वी० डबल सर्किट 3 फेज पेटरवार- जैनामोड़ एवं गोला-पेटरवार संचरण लाईन	73.80	18.00	55.80
11	132/33 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन, हंटरगंज एवं 132 के०वी० डबल सर्किट 3 फेज हंटरगंज- ईटखोरी तथा 132 के०वी० डबल सर्किट 3 फेज हंटरगंज-चतरा संचरण लाईन	107.38	27.00	80.38
12	132/33 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन, गाँवा एवं 132 के०वी० डबल सर्किट 3 फेज गाँवा-जमुआ तथा 132 के०वी० डबल सर्किट 3 फेज गाँवा-कोडरमा संचरण लाईन	119.41	29.00	90.41

13	132/33 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन, निरसा एवं 132 के०वी० डबल सर्किट 3 फेज निरसा-बलियापुर संचरण लाईन	66.38	16.00	50.38
14	132/33 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन, सिमरिया एवं 132 के०वी० डबल सर्किट 3 फेज चतरा-सिमरिया संचरण लाईन	69.76	17.00	52.76
	कुल	1192.91	300.00	892.92

उपरोक्त सभी परियोजनाओं का संशोधित डी०पी०आर० पूर्व में प्राप्त हुआ है। उक्त परियोजनाओं के लिए Field Survey कराकर डी०पी०आर० तैयार किया गया है। डी०पी०आर० में Supervision Consultancy का प्रावधान किया गया है। परियोजनाओं का ससमय कार्यान्वयन एवं गुणवत्ता का पर्यवेक्षण Consultant के माध्यम से किया जाएगा। Supervision Consultant का चयन खुली निविदा के आधार पर किया जाएगा। प्रबंध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि० द्वारा अपने पत्र में यह लिखा गया है कि इन परियोजनाओं की परियोजना राशि में संशोधन किया गया है तथा संशोधित परियोजना राशि पर निदेशक मंडल की 25वीं बैठक में अनुमोदन प्राप्त है।

4. प्रबंध निदेशक, झा०ऊ०सं०नि०लि० के पत्रांक 145, दि० 22.6.17 द्वारा रु० 550.32 करोड़ की कुल 5 संचरण योजनाओं को नाबार्ड से 9.75 प्रतिशत की दर से ऋण स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया। नाबार्ड के पत्रांक 1126, दि० 13.7.17 द्वारा उक्त 05 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसकी संक्षिप्त विवरणी निम्नवत है :-

Sl. No.	Name of the project and associated transmission line	Tentative Project cost (in Cr.)
1	132 Kv G/S/S Petarwar and associated transmission line	73.8
2	132 Kv G/S/S Ramgarh and associated transmission line	96.14
3	132 Kv G/S/S Hunterganj and associated transmission line	107.38
4	220/132/33 Kv G/S/S Hazaribagh and associated transmission line	137.44
5.	220/132/33 Kv G/S/S Baliyapur and associated transmission line	135.56
	Total cost	550.32

प्रबंध निदेशक, झा०ऊ०सं०नि०लि० के पत्रांक 179, दि० 11.9.17 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपर्युक्त योजनाओं में से क्रमांक 4 एवं 5 में अंकित योजनाओं को पी०पी०पी० मोड से क्रियान्वयन हेतु विभागीय संकल्प सं० 2648, दि० 21.08.17 निर्गत है एवं क्रमांक 1 से 3 तक की योजनाओं तथा कंडिका 3 के क्रमांक 1, 10 एवं 11 में अंकित योजनाओं को प्रबंध निदेशक, झा०ऊ०सं०नि०लि० के पत्रांक 168, दि० 30.8.17 द्वारा राज्य से ऋण लेकर स्वीकृति हेतु भेजा गया था।

5. क) चूंकि उपरोक्त 5 योजनाओं की स्वीकृति नाबार्ड से प्राप्त है, अतः आंशिक संशोधन के साथ कंडिका 3 में उल्लेखित 14 योजनाओं में से अधोलिखित 6 योजनाओं का क्रियान्वयन नाबार्ड से ऋण लेकर करने का प्रस्ताव है :-

क्र०	योजना का नाम	कुल प्राक्कलित राशि (राशि करोड़ में)	नाबार्ड से ऋण की राशि (राशि करोड़ में)	राज्यांश की राशि (राशि करोड़ में)
1	132/33 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन, रामगढ़ एवं 132 के०वी० डबल सर्किट रामगढ़-पी०टी०पी०एस०, 132 के०वी० डबल सर्किट रामगढ़-हजारीबाग तथा 132 के०वी० डबल सर्किट रामगढ़ (JUSNL)-रामगढ़ (DVC) संचरण लाईन	96.14	86.526	9.614
2	132/33 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन, बरही एवं 132 के०वी० डबल सर्किट 3 फेज बरही-चतरा (ईटखोरी) एवं 132 के०वी० डबल सर्किट 3 फेज बरही-हजारीबाग संचरण लाईन	89.71	80.739	8.971

3	132/33 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन, विष्णुगढ़ एवं 132 के०वी० डबल सर्किट सरिया-विष्णुगढ़, 132 के०वी० डबल सर्किट गोमिया-विष्णुगढ़ तथा 132 के०वी० डबल सर्किट विष्णुगढ़-हजारीबाग संचरण लाईन	109.24	98.316	10.924
4	132/33 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन, पुटकी एवं 132 के०वी० डबल सर्किट 3 फेज पुटकी-गोविन्दपुर संचरण लाईन	73.44	66.096	7.344
5	132/33 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन, पेटरवार एवं 132 के०वी० डबल सर्किट 3 फेज पेटरवार-जैनामोड़ एवं गोला-पेटरवार संचरण लाईन	73.80	66.42	7.38
6	132/33 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन, हंटरगंज एवं 132 के०वी० डबल सर्किट 3 फेज हंटरगंज-ईटखोरी तथा 132 के०वी० डबल सर्किट 3 फेज हंटरगंज-चतरा संचरण लाईन	107.38	96.642	10.738
	कुल राशि	549.71	494.739	54.971

ख) कंडिका 3 में उल्लेखित 14 योजनाओं में से अवशेष अधोलिखित 8 योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकार से ऋण लेकर करने का प्रस्ताव है :-

क्र०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि (राशि करोड़ में)	वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवश्यक राशि (राशि करोड़ में)
1	132/33 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन, बरकागाँव एवं 132 के०वी० डबल सर्किट 3 फेज बरकागाँव-पी०टी०पी०एस० (220 के०वी०) संचरण लाईन	72.91	20.00
2	132/33 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन, गोला एवं 132 के०वी० डबल सर्किट 3 फेज गोला-रामगढ़ तथा 132 के०वी० डबल सर्किट 3 फेज गोला-सिल्ली संचरण लाईन	92.93	23.00
3	132/33 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन, दुग्दा एवं 132 के०वी० डबल सर्किट 3 फेज दुग्दा-जैनामोड़ तथा 132 के०वी० डबल सर्किट 3 फेज गोमिया-दुग्दा संचरण लाईन	98.99	25.00
4	132/33 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन, पाथरडीह एवं 132 के०वी० डबल सर्किट 3 फेज पुटकी-पाथरडीह संचरण लाईन	63.61	16.00
5	132/33 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन, महुदा एवं 132 के०वी० डबल सर्किट 3 फेज महुदा-पुटकी संचरण लाईन	59.21	15.00
6	132/33 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन, गाँवा एवं 132 के०वी० डबल सर्किट 3 फेज गाँवा-जमुआ तथा 132 के०वी० डबल सर्किट 3 फेज गाँवा-कोडरमा संचरण लाईन	119.41	29.00
7	132/33 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन, निरसा एवं 132 के०वी० डबल सर्किट 3 फेज निरसा-बलियापुर संचरण लाईन	66.38	16.00
8	132/33 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन, सिमरिया एवं 132 के०वी० डबल सर्किट 3 फेज चतरा-सिमरिया संचरण लाईन	69.76	17.00
	कुल राशि	643.20	161.00

अतएव उपर्युक्त प्रस्ताव के आलोक में डी०वी०सी० कमांड एरिया में संचरण की कुल 14 नयी परियोजनाओं हेतु कुल संशोधित प्राक्कलित राशि रु० 1192.91 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जिसमें से रु० 549.71 करोड़ की 06 परियोजनाओं को नाबार्ड से 90% ऋण लेकर एवं 10% राज्य की Equity से क्रियान्वित कराने की स्वीकृति, एवं रु० 643.20 करोड़ की शेष 08 परियोजनाओं को राज्य सरकार से ऋण लेकर क्रियान्वयन हेतु स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में उक्त 08 योजनाओं के लिए राज्यांश की राशि रु० 161.00 करोड़ एवं 06 परियोजनाओं के 10% राज्य की Equity की राशि रु० 54.971 अर्थात् कुल रु० 215.971 करोड़ की विमुक्ति का प्रस्ताव है ।

उल्लेखनीय है कि प्रबंध निदेशक, झांऊंसंनिंलिं के पत्रांक 168, दि० 23.8.2017 द्वारा डी०वी०सी० कमांड एरिया में संचरण की रु० 1192.91 करोड़ कुल 14 नयी परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु० 300.00 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु० 892.91 करोड़ विमुक्त करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। चूंकि अब राज्य सरकार से रु० 643.20 करोड़ ऋण लेकर उक्त 14 में से 08 परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने का प्रस्ताव है। तदनुसार उक्त 08 परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु० 161.00 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु० 482.20 करोड़ विमुक्त किया जाएगा।

6. कंडिका 5 (क) में उल्लेखित योजनाओं का क्रियान्वयन झांऊंसंनिंलिं द्वारा नाबार्ड से स्वीकृति प्राप्त कर किया जाएगा एवं कंडिका 5 (क एवं ख) में उल्लेखित सभी योजनाओं का क्रियान्वयन झांऊंसंनिंलिं द्वारा निदेशक मंडल की स्वीकृति प्राप्त कर किया जाएगा।
7. नाबार्ड द्वारा प्रदत्त ऋण की राशि रु० 495.29 करोड़ हेतु ब्याज का दर 9.75 प्रतिशत अंकित है जो उपर्युक्त राशि रु० 494.739 करोड़ के लिए भी लागू होगा। तदनुसार झांऊंसंनिंलिं द्वारा नाबार्ड से 5 (क) के योजनाओं का ब्याज दर 9.75 प्रतिशत निर्धारित करने हेतु अनुरोध किया जाएगा।
8. नई संचरण योजनाओं के अंतर्गत आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु कुल रु० 396.00 करोड़ का बजट उपबंध वित्तीय वर्ष 2017-18 में है।
9. डी०वी०सी० कमांड एरिया में संचरण की कुल 14 नयी परियोजनाओं हेतु कुल संशोधित प्राक्कलित राशि रु० 1192.91 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जिसमें से रु० 549.71 करोड़ की 06 परियोजनाओं को नाबार्ड से 90% ऋण लेकर एवं 10% राज्य की Equity से क्रियान्वित कराने की स्वीकृति, एवं रु० 643.20 करोड़ की शेष 08 परियोजनाओं को राज्य सरकार से ऋण लेकर क्रियान्वयन हेतु स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में उक्त 08 योजनाओं के लिए राज्यांश की राशि रु० 161.00 करोड़ एवं 06 परियोजनाओं के 10% राज्य की Equity की राशि रु० 54.971 अर्थात् कुल 215.971 करोड़ विमुक्त करने के प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृति समिति की दिनांक 18.10.2017 को सम्पन्न बैठक में स्वीकृति प्रदान की गयी है।
10. मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 03.11.17 में मद सं०-8 में लिए गए निर्णय के आलोक में डी०वी०सी० कमांड एरिया में संचरण की कुल 14 नयी परियोजनाओं हेतु कुल संशोधित प्राक्कलित राशि रु० 1192.91 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जिसमें से रु० 549.71 करोड़ की 06 परियोजनाओं को नाबार्ड से 90% ऋण लेकर एवं 10% राज्य की Equity से क्रियान्वित कराने की स्वीकृति, एवं रु० 643.20 करोड़ की शेष 08 परियोजनाओं को राज्य सरकार से ऋण लेकर क्रियान्वयन हेतु स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में उक्त 08 योजनाओं के लिए राज्यांश की राशि रु० 161.00 करोड़ एवं 06 परियोजनाओं के 10% राज्य की Equity की राशि रु० 54.971 अर्थात् कुल रु० 215.971 करोड़ विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- i) उक्त कंडिका 5 'ख' में उल्लेखित 08 योजनाओं के लिए राज्यांश की राशि रु० 161.00 करोड़ निम्नांकित बजट शीर्षान्तर्गत निम्न रूप से विकलित होगी:-

क्र०	बजटशीर्ष	राशि
1	मुख्य शीर्ष-6801-विजली परियोजनाओं के लिए कर्ज, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-37-झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि० को संचरण हेतु ऋण, विस्तृत शीर्ष-07-अन्य ध्य-63-ऋण एवं अग्रिम विपत्र कोड 10S680100789370763	रु० 19,32,00,000.00 (उन्नीस करोड़ बत्तीस लाख)

2	मुख्य शीर्ष-6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता, उप शीर्ष-37-झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि० को संचरण हेतु ऋण, विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-63-ऋण एवं अग्रिम विपत्र कोड 10S680100796370763	रु० 41,86,00,000.00 (इकतालीस करोड़ छियासी लाख)
3	मुख्य शीर्ष-6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज, लघु शीर्ष-800-विद्युत बोर्डों के लिए अन्य कर्ज उप शीर्ष-37-झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि० को संचरण हेतु ऋण, विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-63-ऋण एवं अग्रिम विपत्र कोड 10S680100800370763	रु० 99,82,00,000.00 (निन्यानबे करोड़ बिरासी लाख)
	कुल	रु० 1,61,00,00,000.00 (एक अरब इकसठ करोड़)

ii) उक्त कंडिका 5 'क' में उल्लेखित 06 परियोजनाओं के लिए 10% राज्य की Equity की राशि रु० 54.971 करोड़ निम्नांकित बजट शीर्षान्तर्गत निम्न रूप से विकलित होगी:-

क्र०	बजटशीर्ष	राशि
1	मुख्य शीर्ष-6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-37-झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि० को संचरण हेतु ऋण, विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-63-ऋण एवं अग्रिम विपत्र कोड 10S680100789370763	रु० 6,59,65,200.00 (छः करोड़ उनसठ लाख प्रैंसठ हजार दो सौ)
2	मुख्य शीर्ष-6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता, उप शीर्ष-37-झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि० को संचरण हेतु ऋण, विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-63-ऋण एवं अग्रिम विपत्र कोड 10S680100796370763	रु० 14,29,24,600.00 (चौदह करोड़ उनतीस लाख चौबीस हजार छः सौ)
3	मुख्य शीर्ष-6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज, लघु शीर्ष-800-विद्युत बोर्डों के लिए अन्य कर्ज उप शीर्ष-37-झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि० को संचरण हेतु ऋण, विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-63-ऋण एवं अग्रिम विपत्र कोड 10S680100800370763	रु० 34,08,20,200.00 (चौंतीस करोड़ आठ लाख बीस हजार दो सौ)
	कुल	रु० 54,97,10,000.00 (चौवन करोड़ संतानवे लाख दस हजार)

11. झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि० को दिये जाने वाली ऋण की शर्तें निम्न प्रकार होंगी:-

(क) ऋण का पुनः भुगतान 10(दस) बराबर वार्षिक किस्तों में होगा। इसकी पहली किस्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारम्भ होगी एवं तदनुसार अन्य किस्तों की अदायगी प्रत्येक वर्ष होगी।

(ख) इस ऋण पर 13 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा ।

(ग) समय पर भुगतान करने पर 1/4 प्रतिशत की छूट देय होगा ।

(घ) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत की दर से विलम्ब दण्ड सूद देय होगा ।

12. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे । राशि का विकलन सचिवालय कोषागार, डोरंडा, राँची से किया जाएगा तथा झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के पी०एल० खाता में जमा किया जाएगा ।

13. झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि० द्वारा निम्न शर्तों का अक्षरशः पालन किया जाएगा :-

i) विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

- ii) योजना का मासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग को प्रत्येक माह के 5वीं तारीख को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।
- iii) अंकेक्षण हेतु लेखा संबंधी कागजात एवं विवरणी का संधारण ससमय करेंगे ।
- iv) राशि की निकासी में वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561, दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक-1800, दिनांक-15.07.2003, वित्त विभाग के पत्रांक 2247, दि० 12.04.2002, कोषागार संहिता के नियम 300 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।
- v) यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना का दोहरीकरण नहीं हो रहा हो । साथ ही, इस योजनान्तर्गत राशि किसी अन्य शीर्ष से व्यय नहीं की जा रही हो ।
14. अनुरोध है कि अवर सचिव (निकासी एवं व्ययन पदा०), ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची के पदनाम से प्राधिकार पत्र निर्गत करने की कृपा की जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

सरकार के सचिव ।

गोपनीय
मुहरबंद

ज्ञापांक : 03/ऊ०(यो०)-04/17.....

दिनांक :

प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक : 03/ऊ०(यो०)-04/17.....

दिनांक :

प्रतिलिपि - आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक : 03/ऊ०(यो०)-04/17.....192

दिनांक : 13-11-17

प्रतिलिपि - माननीय मुख्य(ऊर्जा) मंत्री के आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झा०ऊ०सं०नि०लि०, राँची/उपायुक्त, राँची/अवर सचिव (निकासी एवं व्ययन पदा०), ऊर्जा विभाग/सचिव, ऊर्जा के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, ऊर्जा के प्रधान आप्त सचिव/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।